न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 96/2016

शंकरसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति रावत निवासी ग्राम टोपास तहसील बिजयनगर जिला अजमेर। ....वादी

बनाम

1. जगदीशप्रसाद सेन पुत्र स्व0 श्री मांगू जी सेन जाति नाई निवासी ग्राम रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर हाल निवासी दरबार कॉलोनी बिजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर।

...........प्रतिवादीगण

वाद प़त्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

इस वाद पत्र में वादी ने साराशतः निवेदन किया है। मोजा रामगढ पटवार हल्का व भू0 अ0 नि0 रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाते संख्या 563 ख0 2283 रक्बा 01–13–10 ता0 2 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी 1 के पिता वादी शंकरसिंह पुत्र रामसिंह रावत को दिनांक 13–10–1972 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा भूमि संभला दिया था तब से क्रेता वादी शंकरसिंह पुत्र रामसिंह काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन वादी ने इसके दाखिल बाबत् ध्यान नही दिया इस बाबत् प्रतिवादी से कहने पर उसने मना कर दिया है। प्रतिवादी की नियत बंद है और वे विवादित आराजी को हस्तांतरित आदि करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादी स0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी एवं वादी ने दिनांक 13/07/2017 को आसालतन वकालतन उपस्थित होकर पक्षकारान के साथ राजिनामा पेश कर दिया राजीनामा वाद तरदीक अभिलेख पर लिया गया।

इबारत राजीनामानुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2283 रक्बा 01–13–10 बीघा में वादी के नाम कर दिये जाने पर उभय पक्षों ने लिखित रूप में राजीनामा पेश कर सहमती दी है। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ व अभिभाषक ने की है। अतः राजीनामा पक्षकारान स्वीकार किया जाता है। और यथानुसार डिक्री किया जाता है। ग्राम रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2283 रक्बा 01–13–10 बीघा में वादी शंकरसिंह पुत्र रामसिंह रावत निवासी टोपास तहसील बिजयनगर जिला अजमेर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। और जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को वादी की आराजी में दखंलदांजी से निषेध किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री अनुसार खसरा नम्बर 2283 रक्बा 01–13–10 बीघा आराजी वादी शंकरसिह पुत्र रामसिंह जाति रावत के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 17:45:51 IST
Reason: SelfAttested